वेयर हाउस्ड गुड्स (रिमूवल) विनियमावली, 2016

अधिसूचना संख्या 67/2016-सीमा शुल्क (गै. टे), दिनांक 14 मई, 2016

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 60, धारा 67 और 69 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वेयर हाउस्ड गुड्स (रिमूवल) विनियमावली, 1963 के अधिक्रमण में किए गए कार्य और ऐसे अधिक्रमण से पूर्व विलोपित किए कार्यों के सिवाए, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अत:-

1. **लधु शीर्ष एवं प्रारंभन** (1) इन विनियमों का नाम वेयर हाउस्ड गुड्स (रिमूवल) विनियमावली, 2016 है

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन विनियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित नहीं हो –

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है :-

(ख) ''बाण्ड अधिकारी'' से अभिप्राय वेयर हाऊस का प्रभारी सीमा शुल्क अधिकारी है;

(ग) ''प्रपत्र'' से अभिप्राय इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र से है ।

(घ) ''धारा'' से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा से है।

(ड.) ''वेयर हाऊस'' से अभिप्राय धारा 57 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक वेयर हाऊस अथवा धारा 58 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त प्राइवेट वेयर हाऊस अथवा धारा 58क के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त विशेष वेयर हाऊस से है।

(2) यहां प्रयोग किए गए शब्द या अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है अपितु उन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का क्रमश: वही अर्थ होगा जैसा कि उनके लिए अधिनियम में निर्धारित किया गया है।

(3) **वेयर हाउस से वस्तुओं के अंतरण किए जाने का प्रपत्र** – जहां कहीं वेयर हाउस में रखी गई वस्तुओं को एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में ले जाया जाना है अथवा एक वेयर हाउस से कस्टम स्टेशन के लिए अथवा निर्यात किए जाने के लिए हटाया जाना है वस्तुओं का मालिक वेयर हाउस से वस्तुओं के अंतरण के लिए इन विनियमों में संलग्न प्रपत्र में अनुरोध करते हुए भरेगा।

(4) वस्तुओं के परिवहन की शर्तें – वस्तु जो सीमा शुल्क स्टेशन से हटाकर वेयर हाऊस में अथवा एक वेयर हाउस से हटाकर दूसरे वेयर हाउस में अथवा वेयर हाउस से निर्यात के लिए हटाकर कस्टम स्टेशन में रखा जाना है तो वस्तुओं का परिवहन, एक समुचित अधिकारी अथवा लाइसेंसी अथवा बॉड अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा लगाए गए एक बारगी लाक के अंतर्गत किया जाएगा :

बशर्ते यह कि प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, अथवा सीमा शुल्क आयुक्त, जैसा भी मामला हो, वस्तुओं के स्वरूप अथवा परिवहन के तरीके को ध्यान में रखते हुए एक बारगी लाक को निर्धारित किए बिना वस्तुओं के परिवहन की अनुमति दे सकता है।

(5) **वस्तुओं के समुचित आगमन की शर्तें :-** वस्तुओं का मालिक धारा 60 की उपधारा (1) के अंतर्गत एक माह के भीतर अथवा ऐसे अधिकारी द्वारा अनुमत्य बढ़ाई गई अवधि के भीतर बांड अधिकारी अथवा समुचित अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को लाइसेंसी अथवा उस वेयर हाउस जिससे वस्तुओं को हटाया गया है अथवा निर्यात के सीमा शुल्क स्टेशन के समुचित अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा जारी पावती प्रस्तुत करेगा कि वस्तुएं उस स्थान पर पहुंच गई है, ऐसा नहीं करने पर वस्तुओं का मालिक धारा 72 की उप धारा 1 के अंतर्गत देय ड्यूटी की संपूर्ण राशि तथा इसमें लगने वाला ब्याज, जुर्माने और शास्ति का भुगतान करेगा।

प्रपत्र

(वेयर हाउस्ड गुड्स (रिमूवल) विनियमावली, 2016 का विनियम 3 देखें)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 67 और 69 की शर्तों के अनुसार वेयर हाऊस से वस्तुओं को अंतरित करने का प्रपत्र

भाग-1

:आयात का ब्यौरा	वेयर हाउसिंग का ब्यौरा		वस्तुएं					हटाने का प्रयोजन	
बिल ऑफ एंट्री की संख्या और तारीख	वेयर हाउस कूट और पता	बॉड संख्या और तारीख	वस्तुओं का विवरण	विवरण और पैकेजों की संख्या	पैकेजो पर अंकित चिन्ह और संख्या	भार और मात्रा	मूल्य	अन्य वेयर हाउस में जमा (वेयर हाउस का कूट और पता बताएं	हवाई मार्ग/ समुद्र मार्ग/सड़क मार्ग/ डाक के माध्यम से निर्यात के लिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

वेयर हाउस में रखी गई वस्तुओं के मालिक के हस्ताक्षर

पूरा नाम :

दूरभाष संख्या :

बॉड अधिकारी की अनुमति

(हस्ताक्षर और मोहर)

भाग-2

वस्तुओं के प्रेषण का ब्यौरा				वस्तुओं की प्राप्ति का ब्यौरा			अभ्युक्तियां
हटाए जाने की तारीख और समय	परिवहन के साधन की पंजीकरण संख्या और ब्यौरा	कंटेनर संख्या यदि कोई हो ।	एक बारगी लाक संख्या	वेयर हाउस अथवा कस्टम स्टेशन पर प्राप्ति की तारीख और समय	क्या परिवहन के साधन की पंजीकरण संख्या प्रेषण के साथ मेल खा रही है ।	क्या एक बारगी लाक को बरकरार पाया गया है ।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

लाइसेंसी (वेयर हाउस कीपर) /
बॉड अधिकारी के हस्ताक्षर
एवं मोहर (प्रेषण स्थल पर)

लाइसेंसी (वेयर हाउस कीपर)/बॉड अधिकारी/
समुचित अधिकारी के हस्ताक्षर
एवं मोहर (प्राप्ति स्थल पर)

[फा.सं. 484/03/2015-एलसी (वाल्यूम-II पार्ट I)]

(टेमसुनारो जमीर)
अवर सचिव, भारत सरकार